COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***Drug and cosmetic case No. 3/2025***

Addl. Sessions Judge **I-cum-Special Judge SC/ST & Drug and cosmetic act Jamui** **Page-1/1**

Manoj Sao Vs. State of Bihar

25.05.2026 अभियुक्त मनोज साव की हाजरी है। पुकान पर अभियुक्त मनोज साव एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (Drug and cosmetics) अधिनियम, 1940 की धारा 27(b), 27(d), 28(a) के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 02.09.2025 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान किसी भी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य नही हुआ। साक्ष्य हेतु अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति हेतु साक्षियों के विरूद्ध समन, जमानतीय अधिपत्र, दस्ती समन एवं साक्ष्य हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र भी निर्गत हुआ किंतु वे साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 08.12.2015 एवं 19.12.2015 की कथित घटना के लिये औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा दो मुकदमे किये गये। एक मुकदमा, जो यह मुकदमा है, आपराधिक परिवाद पर आधारित है तथा दूसरा मुकदमा प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 232 का लाभ प्रदान कर दिया गया है। अतः अभियोजन साक्ष्य बंद कर अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ दिया जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकोपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूँ। यह मामला वर्ष 2015 का है। अर्थात 11 वर्ष पुराना है। अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति हेतु इस न्यायालय द्वारा साक्षियों के विरूद्ध समन, जमानतीय अधिपत्र, दस्ती समन एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र भी निर्गत हुआ किंतु वे साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुये। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 की मुकदमें में अभी तक एक भी साक्ष्य नही हुआ है तथा आज ना ही साक्षी है तथा ना ही अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य हेतु समय आवेदन है। अतः अभियुक्त मनोज साव, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच कर अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इसे तथा इसके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।